UPDE010008402012

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी–काशी नाथ (उच्चतर न्यायिक सेवा)–**UP 6231**

<u>सत्र परीक्षण संख्या–95/2012</u>

उ0प्र0 राज्य————————————————————अभियोजन पक्ष

<u>बनाम</u>

1–सुनील कुमार मिश्रा पुत्र पौहारी शरण मिश्र (दौरान विचारण मृत्यु)

2–सुशील कुमार मिश्र पुत्र पौहारी शरण मिश्र

साकिनान–कौड़िया मिश्रा, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया——————————अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या–487/2009

धारा–498ए, 306 भारतीय दण्ड संहिता

थाना–सलेमपुर, जिला–देवरिया।

अपराध का दिनांक व समय	08–06–2009, समय अज्ञात
एफ0आई0आर0 का दिनांक व समय	25–09–2009, समय 14:30 बजे
आरोप पत्र का दिनांक	30–08–2009
सत्र सुपुर्दगी का दिनांक	19–03–2012
आरोप विरचित की दिनांक	20–07–2012
साक्ष्य प्रारम्भ होने का दिनांक	26–04–2013
अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने का दिनांक	10–01–2025
निर्णय हेतु संरक्षित करने का दिनांक	18–07–2026
निर्णय दिनांक	24–07–2026

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी):– श्री मनीष सिंह

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता:– श्री महेश्वर प्रसाद

अभियोजन साक्षी/बचाव पक्ष साक्षी/कोर्ट साक्षी की सूची

(क)–अभियोजन साक्षी

क0सं0	साक्षी	नाम	साक्षी का प्रकार
1–	पी0डब्लू0–1	जगदीश मिश्रा (वादी मुकदमा)	तथ्य के साक्षी
2–	पी0डब्लू0–2	विजेन्द्र मिश्रा	तथ्य के साक्षी

3–	पी0डब्लू0–3	शैलेन्द्र कुमार मिश्र	तथ्य के साक्षी
4–	पी0डब्लू0–4	कन्हैया मिश्रा	तथ्य के साक्षी
5–	पी0डब्लू0–5	डॉ0 राकेश कुमार	औपचारिक साक्षी
6–	पी0डब्लू0–6	उपनिरीक्षक उदय शंकर द्विवेदी	औपचारिक साक्षी
7–	पी0डब्लू0–7	निरीक्षक अवधेश प्रसाद सिंह	औपचारिक साक्षी

निर्णय

आरोप की प्रकृतिः–

01. प्रस्तुत सत्र परीक्षण थाना सलेमपुर, जिला देवरिया की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण सुनील कुमार मिश्र एवं सुशील कुमार मिश्र के विरूद्ध विवेचनोपरान्त आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 306 व 498ए भारतीय दण्ड संहिता में विचारण हेतु न्यायालय को प्रेषित किया गया है, जिसे विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–19, देवरिया द्वारा दिनांक 19.03.2012 को विचारण हेतु श्रीमान् सत्र न्यायालय, देवरिया को सुपुर्द किया गया है। श्रीमान् सत्र न्यायालय, देवरिया द्वारा उक्त सत्र वाद दिनांक–31–10–2023 को इस न्यायालय को विचारण हेतु अन्तरित किया गया है।

02. यहां यह उल्लेखनीय है कि दौरान विचारण अभियुक्त सुनील कुमार मिश्र की मृत्यु दिनांक 30.01.2020 को हो गयी है, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के पुत्र द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाणित प्रति की छायाप्रति व परिवार रजिस्टर के नकल की छायाप्रति दाखिल किया गया। अभियुक्त सुनील कुमार मिश्र के विरूद्ध दिनांक 10.06.2024 को प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद की कार्यवाही उपशमित की गयी। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त सुशील कुमार मिश्र के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए व 306 भा0द0सं0 में विचारण किया जा रहा है।

03. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जगदीश मिश्रा द्वारा थाना सलेमपुर, जिला देवरिया पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि प्रार्थी अपनी लड़की सुनैना की शादी करीब दस वर्ष पूर्व सुनील मिश्र पुत्र पौहारी शरण, निवासी कौड़िया मिश्र, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार की थी। उसकी लड़की के एक लड़की और दो लड़के भी हैं। शादी के बाद करीब साल भर तक सब कुछ ठीक रहा, परन्तु उसके बाद सुनैना को उसके दामाद सुनील मिश्र व लड़की की जेठानी उषा देवी के नाजायज सम्बन्धों के बारे में पता चला जिस पर विरोध प्रार्थी की लड़की करने लगी। इस पर प्रार्थी के दामाद व उनके बड़े भाई सुशील उसे प्रताड़ित करते रहते थे इसकी जानकारी होने पर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया परन्तु प्रयास विफल रहा। इसी मामले को लेकर प्रार्थी के दामाद व उसके भाई सुशील को थाना भटनी की पुलिस ने 13.07.2007 को बंद भी किया था। प्रार्थी के लड़की को प्रताड़ित करने के बारे में प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र महिला प्रकोष्ठ पुलिस

कार्यालय देवरिया में दिया था। प्रार्थी की लड़की कई महीने तक प्रार्थी के घर में ही रही फिर प्रार्थी का दामाद अपनी गलती मान कर अच्छी तरह रखने का वादा करके करीब छः माह पूर्व लड़की सुनैना को अपने घर लिवा ले गया, परन्तु इसके बाद भी प्रार्थी की लड़की को प्रताड़ित करता रहा। प्रार्थी को 08.06.2009 को सूचना मिली कि प्रार्थी की लड़की मर चुकी है इस पर प्रार्थी अपनी लड़की के घर गया। प्रार्थी की लड़की का पुलिस ने पोस्टमार्टम भी कराया था। अब उसे ग्राम कौड़िया मिश्र के लोगों ने दबी जुबान से बताया कि उसकी लड़की की मृत्यु उसके पति सुनील व जेठ सुशील मिश्र के उत्पीड़न के कारण हुई है। प्रार्थी स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सकता कि प्रार्थी की पुत्री ने ससुराल वालो के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की है अथवा ससुराल वालों ने उसे मार डाला है। प्रार्थी को विश्वास है कि प्रार्थी की पुत्री की मृत्यु उत्पीड़न के कारण ही हुई है। प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया है।

<u>विवेचनात्मक कार्यवाहीः–</u>

04. वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर थाना सलेमपुर पर मुकदमा अपराध संख्या–487/2009, अन्तर्गत धारा–498ए व 306 भारतीय दण्ड संहिता की प्राथमिकी अभियुक्तगण सुनील मिश्र एवं सुशील मिश्र के विरूद्ध पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि उक्त थाने की जी0डी0 में की गयी।

05. विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, बयान चिकित्सक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण सुनील कुमार मिश्र एवं सुशील कुमार मिश्र के विरूद्ध धारा 498ए व 306 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

06. उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 03.08.2009 को प्रसंज्ञान लिया गया। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–19, देवरिया द्वारा दिनांक 19.03.2012 द्वारा मामला अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाये जाने पर प्रकरण को दिनांक 19.03.2012 को सत्र सुपुर्द किया गया।

07. अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 20.07.2012 को धारा 498ए व 306 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण को उपरोक्त आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया गया एवं विचारण की याचना की।

<u>मौखिक अभियोजन साक्षीगण विवरणः–</u>

08. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में बतौर पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा जगदीश मिश्रा, पी0डब्लू0–2 विजेन्द्र मिश्रा, पी0डब्लू0–3 शैलेन्द्र

कुमार मिश्र, पी0डब्लू0–4 कन्हैया मिश्रा, पी0डब्लू0–5 डॉ0 राकेश कुमार, पी0डब्लू0–6 उदय शंकर द्विवेदी एवं पी0डब्लू0–7 अवधेश प्रसाद सिंह निरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया हैं।

09. अभियोजन की ओर से दिनांक 21.11.2025 को पत्रावली के आदेशपत्रक के हाशिए पर यह अंकित किया गया कि ''श्रीमान् शेष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है।'' तदोपरान्त अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया तथा पत्रावली अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता हेतु नियत की गई।

<u>अभियोजन प्रलेखीय साक्ष्य मय प्रदर्शः–</u>

10. अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से सिद्ध किए गए अभियोजन प्रपत्र निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	प्रपत्र	प्रदर्श	द्वारा सिद्ध किया गया
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–5
3	पंचनामा	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–5
4	फोटोनाश	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–5
5	नमूना मोहर	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–5
6	चालान नाश	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–5
7	चिट्ठी आर0आई0	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0–5
8	चिट्ठी सी0एम0ओ0	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0–5
9	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0–6
10	जी0डी0 कायमी	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0–6
11	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0–7
12	आरोप पत्र	प्रदर्श क–12	पी0डब्लू0–7

<u>कथन अभियुक्त अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0ः–</u>

11. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त सुशील कुमार मिश्र के कथन अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अभिलिखित किये गये, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया है। साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 की साक्ष्य को गलत बताया है। साक्षी पी0डब्लू0–3, पी0डब्लू0–4, पी0डब्लू0–5, पी0डब्लू0–6 व पी0डब्लू0–7 की साक्ष्य में कुछ नहीं कहना है। प्रतिरक्षा में साक्ष्य देने का कथन कर कहा है कि मृतका घटना के समय गर्भवती थी। वह रक्तश्राव से पीड़ित थी। रक्तश्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। मृतका का कभी उत्पीड़न नहीं किया गया। वादी मुकदमा द्वारा असत्य कथन कर मुकदमा पंजीकृत कराया है।

<u>**मौखिक अभियोजन साक्ष्य–संक्षिप्त विवरणः–**</u>

12. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को बहस पर विस्तार से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

13. प्रस्तुत प्रकरण में अग्रिम विश्लेषण किये जाने से पूर्व अभियोजन तथा बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण द्वारा उनकी ओर से मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में किये गये कथनों का उद्धरण किया जाना समीचीन होगा, जो निम्नवत हैः–

14. साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा जगदीश मिश्रा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि '' उसकी लड़की सुनैना की शादी करीब 14 वर्ष पहले सुनील पुत्र पोहारी शरण तिवारी, कौड़िया मिश्रा, थाना सलेमपुर के साथ हिन्दू रीति–रिवाज से हुई थी। उसके तीन बच्चे थे, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के थे। उसकी लड़की की शादी के बाद उसकी लड़की सुनैना को पता चला कि जेठानी और उसके पति सुनील के बीच नाजायज सम्बन्ध थे, जिसका विरोध करने पर उसकी लड़की को उसकी जेठानी और उसके पति उसे प्रताड़ित करते थे। इसके सम्बन्ध में विवाद होने पर दिनांक–13–07–2007 को उसके दामाद सुनील व उसके भाई सुशील को थाने में भी भिजवाया था। जिसके बाद उसकी लड़की कई महीने तक उसके घर रही। उसके बाद उसके दामाद ने माफी मांगते हुए और प्रताड़ित न करने का वादा करके उसकी लड़की को विदा कराकर ले गये। लेकिन बावजूद इसके उसकी लड़की को प्रताड़ित करते थे। यह बात उसे लड़की के घर आने पर पता चला था। दिनांक–08–06–2009 को उसे सूचना मिली की उसकी लड़की मर चुकी है। सूचन पर जब वह अपनी लड़की के घर पहुंचा तो वहां कौड़िया मिश्रा मौड़ के लोगों ने बताया कि उसकी लड़की की मृत्यु उसके पति व उसके भाई के उत्पीड़न के कारण हुई है। उस वक्त उसने एक दरखास्त कागज संख्या–5क जो शामिल पत्रावली है, थाना कोतवाली सलेमपुर में दिया था। कागज संख्या–5क पर वह अपने हस्ताक्षर तस्दीक करते हैं, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। उसकी लड़की से या उससे ससुराल वाले दहेज की मांग नहीं किये थे। उसके दामाद या उसके भाई ने उसकी जानकारी में उसकी लड़की को कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचायी थी। दिनांक–08–06–2009 को लड़की के मरने के बाद उसे खबर मिली तो वह उसके घर गया तब पता चला कि वह बीमार थी, उसके दवा कराने के लिए हास्पिटल में जा रहे थे तथा वह रास्ते में मर गयी। वह आज तक नहीं जान पाया कि उसकी लड़की कैसी मरी थी।'' इस स्तर पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

15. उक्त साक्षी ने अभियोजन की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि ''उसने कोई बयान विवेचक को नहीं दिया, कैसे धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान विवेचक ने लिख लिया नहीं

बता सकता। वह कक्षा 8 तक पढ़ा है। उसने 26.06.2009 को दरखास्त थाने पर दी थी जो अफवाह के आधार दी थी। उसकी लड़की के बच्चे अपने पिता के पास ही रहते हैं। यह कहना गलत है कि अपने दामाद व उनके भाई से धन लेकर उन्हें बचाने के लिए न्यायालय में झूठा बयान दे रहा है।''

16. बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कहा है कि ''लड़की की मृत्यु से काफी घबरा गया था जिसके कारण उसने लोगों के बताने व अफवाह पर उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा लिखवा दिया था''

17. साक्षी पी0डब्लू0–2 विजेन्द्र मिश्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि ''उसकी बहन की शादी दस वर्ष पूर्व सुनील मिश्रा पुत्र पौहारी मिश्रा ग्राम कौड़िया मिश्र, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया के साथ हुई थी। शादी के करीब एक वर्ष तक दोनों के बीच अच्छा सम्बन्ध था। कुछ समय बाद एक दिन सुनैना के पति सुनील मिश्र व भाभी उषा देवी के बीच अवैध सम्बन्ध को देख ली तो उसने उसका विरोध किया। इस पर सुनील मिश्र व सुशील मिश्र गाली गलौच करने लगे तथा प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच उसकी बहन उसके घर पुरना छापर आयी तथा सभी लोगों को इस बावत बतायी। उसकी बहन से दो लड़के एक लड़की पैदा हुए। प्रताड़ना के कारण उसकी बहन सुनैना अक्सर उसके घर रूक जाती थी। किसी तरह समझा बुझाकर भेजा जाता था। सुनील व सुशील उसके घर भटनी में आकर के झगड़ा करने लगे तो सूचना पर भटनी पुलिस गिरफ्तार कर चालान कर दी थी। प्रताड़ना के सम्बन्ध में पुलिस कार्यालय व महिला प्रकोष्ठ में दरखास्त दिया गया था। प्रकरण इसी प्रकार चलता रहा। एक बार सुनील मिश्र आये और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफी मांगी तथा सुनैना को अच्छी तरह रखने की बात कहकर विदा करा ले गये, लेकिन लड़ाई झगड़ा की बात सामने आती रही। दिनांक–08–06–2009 को अचानक सूचना मिली की सुनैना की मृत्यु हो गयी है। इस बीच वह लोग कौड़िया मिश्र आये तथा प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी किये। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। सुनैना की मृत्यु किस प्रकार हुई। प्रताड़ना के कारण या तो उसने आत्म हत्या कर ली या तो उसे मार दिया गया। कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। सन्देह है कि मृत्यु प्रताड़ना के कारण ही हुई है।''

18. बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कहा है कि ''उसकी बहन सुनैना की शादी 10 वर्ष पूर्व सुनील मिश्र के साथ हुई थी। उसकी बहन का सम्बन्ध अपने ससुराल वालो से अच्छा रहा और कभी भी गाली गलौज नहीं हुआ और न ही गाली गलौज के कारण उसकी बहन को उसकी उसके ससुराल वाले कभी भी प्रताड़ित नहीं किये और न ही दहेज के लिए किसी भी प्रकार का प्रताड़ना ही दिये। उसके बहनोई सुनील मिश्र कभी भी अवैध सम्बन्ध उनके भाभी उषा देवी के साथ नहीं रहा। उसकी बहन से दो लड़के व एक लड़की भी पैदा हुए

हैं जो अपने पिता यानि उसके बहनोई सुनील मिश्र के पास ही उसके दोनों भांजे व एक भांजी रहती हैं, जिसकी देख रेख ठीक ढंग से करते हैं तथा उनके पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। यह कहना गलत है कि वह यह बयान किसी दबाव, लालचवश तथा मुल्जिमान को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा है।''

19. साक्षी पी0डब्लू0–3 शैलेन्द्र कुमार मिश्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि ''उसकी बहन सुनैना की शादी सुनील मिश्र से करीब 18 वर्ष पूर्व जो ग्राम कौड़िया मिश्र के रहने वाले हैं, उनसे हुई थी। उसकी बहन के नुत्फे से 2 लड़के व एक लड़की पैदा हुए, जो तीनों बच्चे स्वस्थ हैं और अपने पिता व दादा दादी के साथ रहते हैं। एक बच्चे का नाम विशाल मिश्र, दूसरे का नाम अतुल मिश्र व लड़की का नाम सालू मिश्र है जो अपने पिता के देख रेख व अपने पिता के पास रहते हैं। उसकी बहन सुनैना व उसके बहनोई सुनील मिश्र के आपस में शादी के बाद ही से अच्छा सम्बन्ध था तथा उन लोगों के आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा फसाद नहीं हुआ था। उसकी बहन जब अपने ससुराल से अपने मायके आयी तो उसने पूछा तो उसने बताया कि उसके पति सुनील मिश्र और ससुर सुशील मिश्र ये सभी लोग अच्छा व्यवहार करते हैं तथा दहेज के लिए उन लोगों ने उसे प्रताड़ित नहीं किया। वह नहीं बता सकता कि सुनील मिश्र का नाजायज सम्बन्ध उसकी भाभी उषा देवी से है और उसके पति तथा ससुर ने कभी भी प्रताड़ित किया और न ही उसकी बहन किसी बात के लिए शिकायत ही किया। उसकी बहन ने उसे यह भी नहीं बताया कि उसके ससुराल वाले मारते पीटते थे और न ही कभी गाली गुप्ता देते थे और न ही कभी जान माल की घुड़की धमकी देते थे। वह नहीं जानता है कि लिखित शिकायत महिला प्रकोष्ठ व पुलिस अधीक्षक व अन्य स्थानों पर दिया गया। दिनांक–08–06–2009 को अचानक सूचना मिली कि उसकी बहन सुनैना की मौत हो गयी है। तब वे लोग कौड़िया मिश्र आये तथा इस घटना के विषय में जानकारी किए। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। सुनैना की मौत किस प्रकार हुई वह नहीं बता सकता। यह उसे जानकारी हुई थी कि उसकी बहन सुनैना की तबियत खराब हुई थी उसको दिखाने सलेमपुर गये थे उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। वह यह भी नहीं बता सकता कि उसकी मृत्यु प्रताड़ना तथा आत्म हत्या के कारण हुई थी। उसे सन्देह है कि उसकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी।'' इस स्तर पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

20. उक्त साक्षी ने अभियोजन की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि ''गवाह को धारा 161 दं0प्र0सं0 का सम्पूर्ण बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि इस तरह का बयान उसने विवेचक को नहीं दिया था यदि विवेचक ने इस तरह का उसका बयान लिख लिया है तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि वह भय व दबाव के कारण मुल्जिमान को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा है।''

21. बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कहा है कि ''उसकी बहन सुनैना की शादी 18 वर्ष पूर्व सुनील मिश्र के साथ हुई थी। उसकी बहन का सम्बन्ध व व्यवहार उसके परिवार के उसके पति, भसुर व जेठानी व परिवार के अन्य सदस्यों से अच्छे थे। कभी कोई गाली गलौज नहीं हुआ। कभी भी उसकी बहन ने ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा प्रताड़ित करने की बात व उनके द्वारा दहेज मांगने की बात नहीं बतायी थी। यह कहना गलत है कि सुनील मिश्रा का अवैध सम्बन्ध उसकी भाभी उषा देवी के साथ था। उसकी बहन के दो लड़के व एक लड़की पैदा हुई थी जो अपने पिता के पास रहते हैं, जिनका देख रेख ठीक से करते हैं। वह नहीं बता सकता कि उसकी बहन की मृत्यु प्रताड़ना के कारण हुई थी यह जानता है कि उसकी तबियत खराब थी। दवा कराने के लिए ले गये थे तो घर आने पर उसकी मृत्यु हो गयी।''

22. साक्षी पी0डब्लू0–4 कन्हैया मिश्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि ''उसकी बहन सुनैना की शादी सुनील मिश्र के साथ 18 वर्ष पूर्व हुई थी। यह शादी ग्राम कौड़िया मिश्र, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया के साथ हुई थी। उसकी बहन सुनैना व बहनोई के नुत्फे से 2 लड़का व एक लड़की पैदा हुए जो उसके बहनोई सुनील मिश्र व चाचा सुशील मिश्र के देख रेख में कौड़िया मिश्र में रहते हैं तथा उन बच्चों का देख रेख व शिक्षा आदि उसके पिता व चाचा करते हैं। पिता और चाचा के अच्छा व्यवहार से बच्चे प्रश्नचित रहते हैं। उसकी बहन सुनैना व उसके बहनोई सुनील मिश्र से अच्छा सम्बन्ध रहा है। कभी भी किसी बात को लेकर झगड़ा फसाद नहीं हुआ है। उसके बहनोई उसकी बहन सुनैना को अच्छी तरह जानते व मानते थे। कभी भी उसके बहनोई सुनील मिश्र व उसके बहन के जेठ सुशील मिश्र कभी भी प्रताड़ित नहीं किए और न कभी भी गाली गलौज किए और न ही कभी जान से मारने की धमकी ही दिए। उसके बहनोई सुनील मिश्र व उसकी भाभी से कभी भी अवैध सम्बन्ध नहीं रहा है। यह बात सही है कि उसकी बहन जब उसके वहां आती थी वह यह पूछता था कि उसके ससुराल में उसके पति व ससुर कैसा व्यवहार करते हैं। उसकी बहन सुनैना ने बताया उसके पति व उसके भसुर अच्छा व्यवहार करते हैं। दिनांक–08–06–2009 को अचानक उसको व उसके परिवार वालो को सूचना मिली कि उसकी बहन सुनैना की मृत्यु हो गयी। तब वह लोग कौड़िया मिश्र गये वहां पता चला कि सुनैना की तबियत खराब थी उसकी तबियत खराब होने से उसकी मृत्यु हो गयी। वह नहीं जानता है कि सुनैना ने प्रताड़ना के वजह से आत्म हत्या किय और यह भी नहीं बता सकता कि सुनैना व सुनैना के परिवार वालो ने पुलिस कप्तान देवरिया को कोई प्रार्थनापत्र दिया था।'' इस स्तर पर उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

23. उक्त साक्षी ने अभियोजन की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि ''गवाह को धारा 161 दं0प्र0सं0 का सम्पूर्ण बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि इस तरह का बयान उसने विवेचक को नहीं दिया था यदि विवेचक ने लिख लिया हो तो वजह नहीं बता सकता। यह

कहना गलत है कि वह लोभ, भय व दबाव के कारण मुल्जिमान को बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा है।''

24. बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कहा है कि ''उसकी बहन सुनैना की शादी करीब 18 वर्ष पूर्व सुनील मिश्र के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसकी बहन के परिवार व उसके पति के व्यवहार उसके प्रति बहुत ही अच्छे थे। वह किसी भी प्रकार से दुख नहीं देते थे। उसकी बहन कभी भी अपने पति व अपने जेठ व परिवार के अन्य सदस्य के द्वारा दहेज मांगने की बात नहीं बतायी थी। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रार्थनापत्र दिया गया हो यह उसे पता नहीं है। यह भी कहना गलत है कि सुनील मिश्र का अवैध सम्बन्ध उसकी भाभी उषा देवी के साथ था। उसकी बहन व बहनोई के नुत्फे से हुए दो लड़के व एक लड़की आज भी अपने पिता सुनील मिश्र के साथ उनके देख रेख में रहते हैं। उसकी बहन की शादी 08.06.2009 को हुई थी। वे लोग गये थे। वहां तमाम चरचाये चल रही थी लेकिन यह सही है कि उसकी तबियत खराब थी वह दवा कराकर आयी उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। किसी के द्वारा प्रताड़ना इत्यादि की बात उसकी बहन के द्वारा कभी नहीं बतायी थी। यह कहना गलत है कि वह किसी के दबाव में गवाही दे रहा है।''

25. साक्षी पी0डब्लू0–5 डॉ0 राकेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि '' दिनांक–09–06–2009 को वह जिला अस्पताल देवरिया में तैनात थे तथा उनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम में थी। उनके साथ एस0पी0ओ0 डी0के0 गुप्ता की ड्यूटी उनके साथ लगी थी। दोनों डाक्टरों ने संयुक्त रूप से मृतका सुनैना देवी पत्नी सुनील मिश्र, निवासी कौड़िया मिश्र, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया के शव जो कि कां0 रामबहादुर यादव व होमगार्ड नागेन्द्र यादव द्वारा समय 03:00 पी0एम0 आठ पुलिस प्रपत्र के साथ लाया गया था, शव का विच्छेदन उनके तथा डी0के0 गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शव विच्छेदन के पूर्व सील सुरक्षित था। मृतका का शव औसत कद काठी में था, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष थी, जिसकी मृत्यु करीब 1 दिन पहले की थी। शरीर के उपरी हिस्से पर अकड़न खत्म हो चुका था, लेकिन निचले हिस्से में अकड़न मौजूद थी। आंखे बन्द थी, लेकिन मुंह खुला हुआ था। बाहरी परीक्षण शव में पेट फुला हुआ था और शरीर के उपर छोटे–छोटे छाले पड़े हुए थे। आन्तरिक परीक्षण में अमाशय में लगभग 100 एम0एल0 अधपचा खाना था। छोटी आंत में गैस और पानी था व बड़ी आंत में गैस और मल था एवं बच्चेदानी में पीछे के हिस्से में एक बड़ा छेद था अन्य सब सामान्य था। मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण मृतका के विसरा रिजर्व कर दिया गया, जिसको चार जारो में सुरक्षित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके साथ रहे डी0के0 गुप्ता के हस्ताक्षर व हस्तलेख में है जिस पर उनका भी हस्ताक्षर है। पत्रावली में शमिल कागज संख्या–15क/1 साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह वही रिपोर्ट है जो उनके सामने तैयार किया गया था जिस पर

उनका हस्ताक्षर है। लाश के साथ आये अन्य पुलिस प्रपत्र जिसमें पंचनामा, फोटोनाश, नमूना को ही चालान नाश चिठ्ठी आर0आई0, चिट्ठी सी0एम0ओ0 भी पुलिस द्वारा लाये गये थे, जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या–15क/1 व 15क/2 पंचनामा 16क फोटोनाश 17क नमूना मोहर, 18क/1 चालान नाश 18क/3 चिट्ठी आर0आई0 18क/4 चिट्ठी सी0एम0ओ0 है जिस पर पोस्टमार्टम के समय उनके हस्ताक्षर बने थे, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क–3** लगायत **प्रदर्श क–8** डाला गया।''

26. बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कहा है कि ''मृतका के शरीर पर छाले के अलावा अन्य कोई चोट का निशान नहीं था। आन्तरिक परीक्षण में भी कहीं कोई चोट का निशान नहीं था। जिस तरह के छाले मृतका के शरीर पर पड़े थे वह जरूरी नहीं है कि किसी दवा के रियेक्शन से ही पड़े हों। आन्तरिक परीक्षण में यूटरस को छोड़कर सभी सामान्य था। पोस्टमार्टम के समय मृतका के शरीर की बाहरी दशा एवं आन्तरिक परीक्षण के आधार पर मृत्यु का कारण स्पष्ट न हो सकने की वजह से मृतका का विषरा रिजर्व करके जांच के लिए सुरक्षित रखा गया।''

27. साक्षी पी0डब्लू0–6 उदयशंकर द्विवेदी उपनिरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि ''दिनांक–25–06–2009 थाना सलेमपुर, जिला देवरिया में हेड मोहर्रिर के पद पर कार्यरत थे। वादी जगदीश मिश्रा पुत्र राधाकृष्ण साकिन पुरना छापर, थाना भटनी, जिला देवरिया द्वारा दिनांकित–25–06–2009 को दिये गये प्रार्थनापत्र के आधार पर थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर चिक संख्या–87/09 पर तहरीर को अक्षरसः उनके द्वारा किता किया गया। मुकदमा अपराध संख्या–487/09, धारा–498ए, 306 भा0दं0सं0 अभियुक्तगण सुनील मिश्रा व सुशील मिश्रा के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–4क चिक रपट साक्षी को दिखाया गया, साक्षी ने बताया कि ये उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर में है जिसकी वह पहचान करता है जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया। **प्रदर्श क–1** के पुस्त पर उसका हस्ताक्षर है तथा पुस्त पर तहरीर के आधार पर चिक बसराहत संख्या–87/09, मुकदमा अपराध संख्या–487/09 धारा–498ए, 306 भा0दं0सं0 पंजीकृत किया गया, का उल्लेख किया गया है, जो उनके हस्तलेख में है तथा थाने की मुहर लगी है। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय के रोजनामचा आम के बहवाले रपट संख्या–22 समय 14:30 पर मुकदमा उपरोक्त के कायमी का उल्लेख किया गया है, जिसमें जी0डी0 की कार्बन प्रति जो रोजनामचा खास में लगाकर रोजनामचा खास के साथ अंकित की गयी है। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–7क कार्बन प्रति कायमी साक्षी को दिखाया गया साक्षी ने बताया कि कार्बन प्रति के उपर नकल रपट रोजनामचा आम में हस्तलेख में अंकित है यह कार्बन प्रति कायमी मूल से एक ही प्रासेस में तैयार किया गया है, जिस पर **प्रदर्श क–10** डाला गया।''

28. साक्षी पी0डब्लू0–7 अवधेश प्रसाद सिंह, निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि "दिनांक–25–06–2009 को वह थाना सलेमपुर जनपद देवरिया में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त थे। मुकदमा अपराध संख्या–487/09 धारा–498ए, 306 भा0दं0सं0, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया में वादी श्री जगदीश मिश्र पुत्र श्री राधाकृष्ण मिश्रा ग्राम पुरना छापर, थाना भटनी, जिला देवरिया की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक–25–06–2009 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत होकर विवेचना उन्हें सुपुर्द की गयी थी। उक्त मुकदमें की नकल चिक, नकल रपट उन्हें चौकी नवलपुर पर एच0जी0 जगत नरायन कुशवाहा से प्राप्त हुआ प्राप्त कर विवेचना के क्रम में उसी दिन उनके द्वारा नकल चिक, नकल रपट करते हुए थाना सलेमपुर में आकर मुकदमा वादी श्री जगदीश मिश्र का बयान अंकित किया गया तथा लेखक एफ0आई0आर0 एच0एम0 उदयशंकर द्विवेदी का बयान अंकित करके मुकदमा वादी को साथ लेकर निरीक्षण घना स्थल के लिए रवाना हुआ। ग्राम कौड़िश्रया मिश्र में पहुंचकर हस्व निशानदेही मुकदमा वादी (पिता मृतका सुनैना देवी) के घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा मौके की नक्शा नजरी उनके द्वारा तैयार किया गया जो उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर में पत्रावली में संलग्न है जो पत्रावली में कागज संख्या–8क के रूप में है जिस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया तथा मौके पर मौजूद समई साक्षी श्रीमती विद्यावती मिश्र, श्रीमती शान्ति देवी, श्री अमरनाथ मिश्रा, श्रीप्रताप मिश्र, राजकुमार व राकेश कुमार मिश्रा का बतौर समई साक्षी बयान अंकित किया गया तथा उनके द्वारा ही नकल पंचायतनामा तैयार किया गया था जो उनके ही द्वारा लेख व हस्ताक्षर में है। सुनैना देवी (मृतका) पत्नी सुनील कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना ग्राम कौड़िया मिश्र, थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया जो दिनांक–08–06–2009 को मृत्यु हुई थी जिसकी पंचायतनामा सुबह 7 बजे दिनांक–09–06–2009 को उनके द्वारा तैयार किया गया था जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–15क/1 लगायत 15क/2 शामिल है जिस पर पूर्व में **प्रदर्श क–3** डाला जा चुका है, जिसका नकल सी0डी0 किया व मृतका सुनैना के पी0एम0 रिपोर्ट का उल्लेख सी0डी0 किया। पर्चा संख्या–2 दिनांक–26–06–2009 को किता किया जिसमें अभियुक्तगण सुनील कुमार मिश्र व सुशील मिश्र को समय करीब सात बजे प्रातः पेश दरवाजे से गिरफ्तार कर अभियुक्तगण का बयान अंकित करते हुए मौके पर ही गिरफ्तारी प्रपत्र तैयार किया गया था तथा उसी दिन अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय में पेश कर अभियुक्तगण के विरूद्ध रिमाण्ड ली गयी थी। पर्चा संख्या–3 दिनांक–29–06–2009 को किता किया गया था जिसमें मुकदमा वादी के गांव पहुंचकर वादी के पेश दरवाजे पर गवाहान श्रीमती जानकी देवी (मां मृतका), बयान श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र (भाई मृतका), श्री बिजेन्द्र कुमार मिश्र (भाई मृतका) का अंकित किया गया था। पर्चा संख्या–4 दिनांक–08–07–2009 को किता किया गया है जिसमें बयान गवाह श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्र, बयान श्री कन्हैया मिश्र का अंकित किया गया है। पर्चा संख्या–5 दिनांक–09–07–2009 को किता किया

गया है जिसमें पंचायतनामा से सम्बन्धित पंचान गवाह श्री जगदीश मिश्र, श्री दुर्गेश मिश्र, श्री उपेन्द्र कुमार गुप्ता व सुनील व सुशील का अंकित किया गया है। पर्चा संख्या–6 दिनांक–10–07–2009 को किता किया गया है जिसमें मृतका सुनैना का पी0एम0 करने वाले चिकित्सक डॉ0 राकेश कुमार चिकित्सक जिला चिकित्सालय, देवरिया का बयान अंकित किया गया। पर्चा संख्या–7 दिनांक–16–07–2009 को किता किया गया है जिसमें मृतका का बिषरा नियमानुसार डॉकेट तैयार कराकर जरिये कां0 समापति सिंह के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ प्रेषित करवाया गया। पर्चा संख्या–8 दिनांक–24–07–2009 को किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण सुनील कुमार मिश्र, सुशील मिश्र पुत्रगण पौहारी शरण मिश्र निवासीगण ग्राम कौड़िया मिश्र, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर जुर्म धारा–498ए, 306 भा0दं0सं0 में द्वारा आरोप पत्र संख्या–82/09 दिनांक–29–07–2009 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–3क आरोप पत्र उनके लेख हस्ताक्षर में है जिसको वह तस्दीक करते हैं जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया।''

29. बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कहा है कि ''मौके पर वह दो बार गये थे एक बार पंचायतनामा के समय गये थे और एक बार वादी के साथ घटना स्थल का निरीक्षण करने दिनांक–25–06–2009 को गये थे। जब वह पहुंचे तो मृतका की लाश दरवाजे के सामने चादर बिछाकर फर्श पर रखी गयी थी। पहली बार जब वह देखा तो दस–बारह घण्टे लगभग पूर्व की लाश रही होगी। मृतका के मृत्यु का कारण उस समय स्पष्ट नहीं था, किन्तु परिजन कह रहे थे कि कुछ दिन से तबियत ठीक नहीं थी। मृतका के परिजनों ने उसे मृतका के शव का पंचायतनामा के दौरान निरीक्षण कराया था किन्तु शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं दिख रहा था। जितने लोगों का बयान उसने लिया था उसमें से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था। पंचायतनामा के किसी गवाह ने पंचायतनामा के समय मृतका की मृत्यु का स्पष्ट कारण नहीं बताया था। मृतका के पोस्टमार्टम के बाद विषरा मिला था, जिसे परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया गया था, परन्तु आरोप पत्र दाखिल करते समय तक विषरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया था बल्कि थाने पर बैठकर रिपोर्ट तैयार की गयी है।''

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद **दिनेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009 (67) ए0सी0सी0 सुप्रीर्म कोर्ट पेज 734** में यह अवधारित किया गया है कि ''अभियोजन पक्ष को अपने विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को सन्देह से परे साबित करना होता है।''

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एल. मंगल लाल शुक्ला बनाम गुजरात राज्य, ए0आई0आर0 1979 एस0सी0 1012** में यह व्यवस्था दी है कि अभियोजन पक्ष पर हमेशा अपने मामले को हर

उचित संदेह से परे साबित करने का भार होता है और यह भार कभी स्थानांतरित नहीं होता है।

32. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद **जोगीदान बनाम राजस्थान राज्य 2004 सी0आर0एल0जे0 पेज संख्या–1726** में अवधारित किया गया है कि अपराध के प्रत्येक घटक को सकारात्मक रूप से साबित करने का दायित्व हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है।

निष्कर्ष

33. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे अभियोजन द्वारा प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को दण्डित किया जाये।

34. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया है कि, अभियोजन पक्ष द्वारा जिन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, उनके द्वारा अपने–अपने सशपथ बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, बल्कि उसके विपरीत कथन किये हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन के साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अतः साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन की कथित घटना साबित नहीं होती है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप पूर्णतया साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

35. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत तर्कों को एवं अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

36. अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को उचित संदेह के दायरे से परे साबित करने में सफल है अथवा असफल ?

37. अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 498ए व 306 भा0दं0सं0 के सम्बन्ध में:–

38. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा की लड़की सुनैना की शादी करीब दस वर्ष पूर्व सुनील मिश्र पत्रु पौहारी शरण, निवासी कौड़िया मिश्र, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार की थी। उसकी लड़की के एक लड़की और दो लड़के भी हैं। शादी के बाद करीब साल भर तक सब कुछ ठीक रहा, परन्तु उसके बाद सुनैना को उसके दामाद सुनील मिश्र व लड़की की जेठानी उषा देवी के नाजायज सम्बन्धों के बारे में पता चला जिस पर विरोध प्रार्थी की लड़की करने लगी। इस पर प्रार्थी के दामाद व उनके बड़े भाई सुशील उसे प्रताड़ित करते रहते थे इसकी जानकारी होने पर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया परन्तु प्रयास विफल रहा। इसी मामले को लेकर प्रार्थी के दामाद व उसके भाई सुशील को थाना भटनी की पुलिस ने 13.07.2007 को बंद भी किया था। प्रार्थी के

लड़की को प्रताड़ित करने के बारे में प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र महिला प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय देवरिया में दिया था। प्रार्थी की लड़की कई महीने तक प्रार्थी के घर में ही रही फिर प्रार्थी का दामाद अपनी गलती मान कर अच्छी तरह रखने का वादा करके करीब छः माह पूर्व लड़की सुनैना को अपने घर लिवा ले गया, परन्तु इसके बाद भी प्रार्थी की लड़की को प्रताड़ित करता रहा। प्रार्थी को 08.06.2009 को सूचना मिली कि प्रार्थी की लड़की मर चुकी है इस पर प्रार्थी अपनी लड़की के घर गया। प्रार्थी की लड़की का पुलिस ने पोस्टमार्टम भी कराया था। अब उसे ग्राम कौड़िया मिश्र के लोगों ने दबी जुबान से बताया कि उसकी लड़की की मृत्यु उसके पति सुनील व जेठ सुशील मिश्र के उत्पीड़न के कारण हुई है। प्रार्थी स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सकता कि प्रार्थी की पुत्री ने ससुराल वालो के उत्पीड़न के कारण आत्महत्या की है अथवा ससुराल वालों ने उसे मार डाला है। प्रार्थी को विश्वास है कि प्रार्थी की पुत्री की मृत्यु उत्पीड़न के कारण ही हुई थी।

39. अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा जगदीश मिश्र द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि उसकी लड़की सुनैना की शादी करीब 14 वर्ष पहले सुनील के साथ हिन्दू रीति–रिवाज से हुई थी। उसके तीन बच्चे थे, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के थे। उसकी लड़की की शादी के बाद उसकी लड़की सुनैना को पता चला कि जेठानी और उसके पति सुनील के बीच नाजायज सम्बन्ध थे, जिसका विरोध करने पर उसकी लड़की को उसकी जेठानी और उसके पति उसे प्रताड़ित करते थे। इसके सम्बन्ध में विवाद होने पर दिनांक–13–07–2007 को उसके दामाद सुनील व उसके भाई सुशील को थाने में भी भिजवाया था। जिसके बाद उसकी लड़की कई महीने तक उसके घर रही। उसके बाद उसके दामाद ने माफी मांगते हुए और प्रताड़ित न करने का वादा करके उसकी लड़की को विदा कराकर ले गये। लेकिन बावजूद इसके उसकी लड़की को प्रताड़ित करते थे। यह बात उसे लड़की के घर आने पर पता चला था। दिनांक–08–06–2009 को उसे सूचना मिली की उसकी लड़की मर चुकी है। सूचन पर जब वह अपनी लड़की के घर पहुंचा तो वहां कौड़िया मिश्रा मौड़ के लोगों ने बताया कि उसकी लड़की की मृत्यु उसके पति व उसके भाई के उत्पीड़न के कारण हुई है। उसकी लड़की से या उससे ससुराल वाले दहेज की मांग नहीं किये थे। उसके दामाद या उसके भाई ने उसकी जानकारी में उसकी लड़की को कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचायी थी। दिनांक–08–06–2009 को लड़की के मरने के बाद उसे खबर मिली तो वह उसके घर गया तब पता चला कि वह बीमार थी, उसके दवा कराने के लिए हास्पिटल में जा रहे थे तथा वह रास्ते में मर गयी। वह आज तक नहीं जान पाया कि उसकी लड़की कैसी मरी थी।

40. उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि उसने कोई बयान विवेचक को नहीं दिया, कैसे धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान विवेचक ने लिख लिया नहीं बता सकता। वह

कक्षा 8 तक पढ़ा है। उसने 26.06.2009 को दरखास्त थाने पर दी थी जो अफवाह के आधार दी थी। उसकी लड़की के बच्चे अपने पिता के पास ही रहते हैं। यह कहना गलत है कि अपने दामाद व उनके भाई से धन लेकर उन्हें बचाने के लिए न्यायालय में झूठा बयान दे रहा है। लड़की की मृत्यु से काफी घबरा गया था जिसके कारण उसने लोगों के बताने व अफवाह पर उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा लिखवा दिया था

41. इस प्रकार उक्त साक्षी पी0डब्लू0–1 जो कि प्रकरण के वादी मुकदमा हैं, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी/वादी मुकदमा की साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाता है।

42. इसी प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–2 विजेन्द्र मिश्र, पी0डब्लू0–3 शैलेन्द्र कुमार मिश्र एवं पी0डब्लू0–4 कन्हैया मिश्र द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक के विपरीत कथन करते हुए कहा गया है कि उसकी बहन सुनैना व उसके बहनोई सुनील मिश्र से अच्छा सम्बन्ध रहा है। कभी भी किसी बात को लेकर झगड़ा फसाद नहीं हुआ है। उसके बहनोई उसकी बहन सुनैना को अच्छी तरह जानते व मानते थे। कभी भी उसके बहनोई सुनील मिश्र व उसके बहन के जेठ सुशील मिश्र कभी भी प्रताड़ित नहीं किए और न कभी भी गाली गलौज किए और न ही कभी जान से मारने की धमकी ही दिए। उसके बहनोई सुनील मिश्र व उसकी भाभी से कभी भी अवैध सम्बन्ध नहीं रहा है। यह बात सही है कि उसकी बहन जब उसके वहां आती थी वह यह पूछता था कि उसके ससुराल में उसके पति व ससुर कैसा व्यवहार करते हैं। उसकी बहन सुनैना ने बताया उसके पति व उसके भसुर अच्छा व्यवहार करते हैं। दिनांक–08–06–2009 को अचानक उसको व उसके परिवार वालो को सूचना मिली कि उसकी बहन सुनैना की मृत्यु हो गयी। तब वह लोग कौड़िया मिश्र गये वहां पता चला कि सुनैना की तबियत खराब थी उसकी तबियत खराब होने से उसकी मृत्यु हो गयी। यह उसे जानकारी हुई थी कि उसकी बहन सुनैना की तबियत खराब हुई थी उसको दिखाने सलेमपुर गये थे उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। वह यह भी नहीं बता सकता कि उसकी मृत्यु प्रताड़ना तथा आत्म हत्या के कारण हुई थी।

43. उक्त साक्षीगण द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि उसकी बहन सुनैना की शादी 10 वर्ष पूर्व सुनील मिश्र के साथ हुई थी। उसकी बहन का सम्बन्ध अपने ससुराल वालो से अच्छा रहा और कभी भी गाली गलौज नहीं हुआ और न ही गाली गलौज के कारण उसकी बहन को उसकी उसके ससुराल वाले कभी भी प्रताड़ित नहीं किये और न ही दहेज के लिए किसी भी प्रकार का प्रताड़ना ही दिये। उसके बहनोई सुनील मिश्र कभी भी अवैध सम्बन्ध उनके भाभी उषा देवी के साथ नहीं रहा। उसकी बहन से दो लड़के व एक लड़की भी पैदा हुए हैं जो अपने पिता यानि उसके बहनोई सुनील मिश्र के पास ही उसके दोनों भांजे व एक भांजी रहती हैं,

जिसकी देख रेख ठीक ढंग से करते हैं तथा उनके पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। उसकी बहन का सम्बन्ध व व्यवहार उसके परिवार के उसके पति, भसुर व जेठानी व परिवार के अन्य सदस्यों से अच्छे थे। कभी कोई गाली गलौज नहीं हुआ। कभी भी उसकी बहन ने ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा प्रताड़ित करने की बात व उनके द्वारा दहेज मांगने की बात नहीं बतायी थी। यह कहना गलत है कि सुनील मिश्रा का अवैध सम्बन्ध उसकी भाभी उषा देवी के साथ था। उसकी बहन के दो लड़के व एक लड़की पैदा हुई थी जो अपने पिता के पास रहते हैं, जिनका देख रेख ठीक से करते हैं। वह नहीं बता सकता कि उसकी बहन की मृत्यु प्रताड़ना के कारण हुई थी यह जानता है कि उसकी तबियत खराब थी। दवा कराने के लिए ले गये थे तो घर आने पर उसकी मृत्यु हो गयी।

44. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा, पी0डब्लू0–2 विजेन्द्र मिश्रा, पी0डब्लू0–3 शैलेन्द्र कुमार मिश्र व पी0डब्लू0–4 कन्हैया मिश्र द्वारा अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, जिस कारण अभियोजन कथानक सिद्ध नहीं होता है।

45. साक्षी पी0डब्लू0–5 डॉ0 राकेश कुमार द्वारा मृतका का शव विच्छेदन किया गया है। मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण मृतका के विषरा को रिजर्व किया गया। उक्त साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह कहा गया है कि मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व कोई चोट नहीं पायी गयी।

46. उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि वह वादी के साथ घटना स्थल का निरीक्षण करने दिनांक–25–06–2009 को गये थे। जब वह पहुंचे तो मृतका की लाश दरवाजे के सामने चादर बिछाकर फर्श पर रखी गयी थी। पहली बार जब वह देखा तो दस–बारह घण्टे लगभग पूर्व की लाश रही होगी। मृतका के मृत्यु का कारण उस समय स्पष्ट नहीं था, किन्तु परिजन कह रहे थे कि कुछ दिन से तबियत ठीक नहीं थी। मृतका के परिजनों ने उसे मृतका के शव का पंचायतनामा के दौरान निरीक्षण कराया था किन्तु शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं दिख रहा था। जितने लोगों का बयान उसने लिया था उसमें से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था।

47. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजीव सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2016 (93) एसीसी 525** में अभिनिर्धारित किया है कि, ''कोई आरोप तभी साबित कहा जा सकता है जब विधिक दोषसिद्धि हेतु प्रत्यक्ष एवं निश्चित साक्ष्य उपलब्ध हों। किसी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक दोष के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे आरोप साबित करना होता है। निर्दोषता की अवधारणा न केवल व्यक्ति विशेष को सुरक्षित करती है बल्कि विधिक निकाय की सुरक्षा एवं उसमें जनसामान्य के विश्वास को भी बनाए रखती है।'' माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रंग बहादुर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 ए0आई0आर0 2000 सुप्रीम कोर्ट 1209** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, ''किसी निर्दोष व्यक्ति की दोषसिद्धि की अपेक्षा न्यायालय

को किसी दोषी व्यक्ति की दोषमुक्ति को वरीयता देनी चाहिए। जब तक अभियोजन पक्ष अपने कथानक को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित न कर दे, तब तक अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।'' विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम अवधेश (2008) 16 एस0सी0सी0 238** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''निःसन्देह एक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि जब तक उसके विरूद्ध अभियोजन कथानक युक्तियुक्त सन्देह से परे स्तरीय साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है, तब तक उसे दोषसिद्ध नहीं माना जायेगा।''

48. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध किन्चित मात्र भी साक्ष्य नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी सम्पूर्ण साक्ष्य कदापि पर्याप्त नहीं है और न ही अन्यत्र प्रकार से संतोषप्रद है। फौजदारी मामलों में जिस कोटि की साक्ष्य की अपेक्षा होती है, उसका प्रस्तुत अभियोजन में सर्वथा अभाव है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास अभियुक्त पर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं है।

49. उपरोक्त समस्त, समग्र एवं तथ्यात्मक विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक कि अभियुक्त सुशील कुमार मिश्र द्वारा वादी मुकदमा जगदीश मिश्रा की पुत्री सुनैना को दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं उसे आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहा है। परिणामतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन कथानक सन्देहास्पद हो जाता है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित होगा।

50. अतः सम्पूर्ण उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त सुशील कुमार मिश्र के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 498ए व 306 भारतीय दण्ड संहिता को युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त सुशील कुमार मिश्र साक्ष्य के अभाव में मु0अ0सं0 487/2009, सत्र परीक्षण संख्या–95/2012, राज्य बनाम सुनील मिश्रा आदि, अन्तर्गत धारा–498ए व 306 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त सुशील कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 पौहारी शरण मिश्र, निवासी कौड़िया काजी, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया को मु0अ0सं0 487/2009, सत्र परीक्षण संख्या–95/2012, राज्य बनाम सुनील मिश्रा आदि, अन्तर्गत धारा–498ए व 306 भारतीय दण्ड संहिता, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया के आरोपित अपराध से साक्ष्य के अभाव में एतद्द्वारा दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अतः उसके बन्धपत्र एवं प्रतिभूपत्र निरस्त किये जाते हैं,

प्रतिभूओं को जमानत के दायित्व से मुक्त किया जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा–437ए के अन्तर्गत अभियुक्त मु0 20,000/–रुपये का नवीन व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं दो–दो प्रतिभूति दाखिल करना सुनिश्चित करें, जो आज निर्णय की तिथि से छः माह की अवधि के लिए, इस निर्णय के विरूद्ध अपील योजित होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति हेतु प्रभावी रहेंगे, तदुपरान्त स्वतः अपास्त माने जायेंगे।

परीक्षण के दौरान प्रस्तुत वाद के मुकदमा वादी जगदीश मिश्र, शैलेन्द्र कुमार मिश्र, कन्हैया मिश्र ने अभियोजन कथानक के विपरीत साक्ष्य दिया है। अतः उनके विरूद्ध पृथक–पृथक धारा 344 द0प्र0सं0/383 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद पंजीकृत हो। संबंधित वाद लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह मुकदमा वादी जगदीश मिश्र, शैलेन्द्र कुमार मिश्र, कन्हैया मिश्र के विरूद्ध धारा 344 द0प्र0सं0/383 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद पंजीकृत करे।

ह0
दिनांक–24–07–2026 (काशी नाथ)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, देवरिया।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

ह0
दिनांक–24–07–2026 (काशी नाथ)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, देवरिया।